रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

सत्यमेव जयते

एस.जी.-डी.एल.-अ.-19042022-235214
SG-DL-E-19042022-235214

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 241]	दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 18, 2022/चैत्र 28, 1944	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 27
No. 241]	DELHI, MONDAY, APRIL 18, 2022/CHAITRA 28, 1944	[N. C. T. D. No. 27

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

गृह–I (पुलिस)/स्थापना विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 18 अप्रैल, 2022

फा.सं. 13/06/2021/गृह–पुलिस–1/स्था0/217 से 223.—राष्ट्रपति द्वारा लागू तथा दिनांक 14 नवंबर 2021 को भारत के राजपत्र असाधारण, भाग–II, खण्ड–I में विधि एवं न्याय मंत्रालय (विधायी विभाग), भारत सरकार द्वारा प्रकाशित निम्नलिखित अध्यादेश को एतद् द्वारा जनता को सामान्य सूचना देने हेतु दिल्ली राजपत्र में पुनः प्रकाशित किया जाता है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

पवन कुमार, उप–सचिव (गृह–1)

विधि एवं न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

नई दिल्ली, नवम्बर 14, 2021 / कार्तिक 23, 1943 (शक)

दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना (संशोधन) अध्यादेश, 2021

(सं. 2021का 10)

भारत गणतंत्र के 72 वें वर्ष पर राष्ट्रपति द्वारा प्रवर्तित

दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम,1946 में आगे संशोधन करने के लिए एक अध्यादेश।

जबकि संसद मे सत्र नहीं चल रहें है तथा राष्ट्रपति इस तथ्य से संतुष्ट है कि वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार उनका तत्काल कार्यवाही करना आवश्यक है।

अब इसलिए संविधान के अनुच्छेद 123 के खण्ड (I) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति निम्नलिखित अध्यादेश की घोषणा करते हैं :–

संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारम्भ

1. (I) इस अध्यादेश को दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना (संशोधन) अध्यादेश, 2021 कहा जाए।
   (II) यह तत्काल प्रभावी होगा।

धारा 4 में संशोधन (1946 का 25)

2. दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 की धारा 4ख की उपधारा (I) मे निम्नलिखित परंतुकों को सन्निविष्ट किया जाएगा, अर्थात्–

"परन्तु यह भी उपबंधित है कि वह अवधि जिसके लिए निदेशक अपनी प्रारभिंक नियुक्ति से पद धारण करता है ,धारा 4ख की उपधारा (I) के अधीन जनहित में समिति की सिफारिश पर होगी तथा कारणों को लिखित रूप में अभिलेखबद्ध करते हुए एक बार में एक वर्ष तक विस्तारित की जा सकती है :

आगे यह भी उपबंधित है कि प्रारंभिक नियुक्ति में उल्लिखित अवधि सहित कुल पांच वर्षों की अवधि पूर्ण होने के पश्चात इस प्रकार का सेवा की अवधि में विस्तार स्वीकृत नहीं किया जाएगा।''

राम नाथ कोविंद,
राष्ट्रपति

डॉ. रीता वशिष्ट, सचिव

HOME-I (POLICE)/ESTABLISHMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 18th April, 2022

F.No. 13/06/2021/HP-1/Estt./217 to 223.—The following Ordinance promulgated by the President and published by the Government of India, Ministry of Law and Justice (Legislative Department) in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-1 dated 14th November 2021, is hereby republished in the Delhi Gazette for the general information of the public.

By Order and in the Name of the Lieutenant Governor
of the National Capital Territory of Delhi,

PAWAN KUMAR, Dy. Secy. (Home-1)

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Legislative Department)

New Delhi, the 14th November, 2021/Kartika 23, 1943 (Saka)

THE DELHI SPECIAL POLICE ESTABLISHMENT

(AMENDMENT) ORDINANCE, 2021

(NO. 10 OF 2021)

Promulgated by the President in the Seventy-second Year of the Republic of India. An Ordinance further to amend the Delhi Special Police Establishment Act, 1946.

WHEREAS Parliament is not in session and the President is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (1) of article 123 of the Constitution, the President is pleased to promulgate the following Ordinance:—

Short title and commencement

1. (1) This Ordinance may be called the Delhi Special Police Establishment Amendment) Ordinance, 2021.

(2) It shall come into force at once.

Amendment of section 4.

25 of 1946.

2. In section 4B of the Delhi Special Police Establishment Act, 1946, in sub-section (1), the following provisos shall be inserted, namely,—

"Provided that the period for which the Director holds the office on his initial appointment may, in public interest, on the recommendation of the Committee under sub-section (1) of section 4B and for the reasons to be recorded in writing, be extended up to one year at a time:

Provided further that no such extension shall be granted after the completion of a period of five years in total including the period mentioned in the initial appointment;".

RAM NATH KOVIND,
President

———

DR. REETA VASISHTA, Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2022.04.19 19:31:50 +05'30'